

No. niirncd/e/st/tender/horticulture/2021

Dated: 08.03.2022

Cost of Tender Document Rs. 500/-

TENDER DOCUMENT
FOR
MANPOWER AND HORTICULTURE SERVICES
AT
NIIR-NCD
New Pali Road Jodhpur 342005

Time schedule for tender process:

Date of publication of tender notification on official website and CPP portal	08.03.2022
Last date for Submission of tender document	29.03.2022 at 5:30 PM
Date and Time of the opening of Tender Document	30.03.2022 at 11:00 AM
Place of tender document submission	NIIR-NCD JODHPUR

Note: This tender document contains 18 pages (total no. of pages including Annexures) and tenderers are requested to sign on all the pages.

INTRODUCTION:

The National Institute for Implementation Research on Non Communicable Diseases came into existence on 07th December 2019. The Institute is located in Jodhpur and it replaced the erstwhile Desert Medicine Research Centre. The Institute has state of the art facility to conduct basic laboratory based research in its microbiology, biochemistry and vector biology laboratories. The Institute is acquiring manpower and facilities for strengthening its capacity for conducting implementation research on non- communicable diseases. At present, the Institute has a set of 11 dedicated scientists, 16 technical staffs, ably supported by 21 administrative and support staff. The thrust areas of research are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, environmental health, nutritional disorders, cancer, injury & trauma, mental illnesses including substance abuse, genetic diseases and other non-communicable diseases of public health significance in India. The Institute aspires to carry out implementation research in the thrust areas, provide training for capacity building in implementation research in other academic and research institutions, develop behavior change communication materials and models for tackling risk factors of various non communicable diseases. The Institute heartily welcomes collaboration with institutions and individuals with interest in augmenting the thrust areas.

NOTICE INVITING TENDER:

SELECTION OF AGENCY FOR PROVIDING MANPOWER AND HORTICULTURE SERVICES AT NIIRNCD JODHPUR.

The Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases, Jodhpur (NIIRNCD, JODHPUR) invites tenders in sealed cover under two-bid system from reputed and experienced agencies for providing manpower and horticulture services with Item wise contract type through websites: <https://main.icmr.nic.in/tenders> <https://niirncd.icmr.org.in/tenders.php> and CPP Portal <https://eprocure.gov.in/> as detailed in the Tender document for our Institute. Any future clarification and/or corrigendum(s) shall be communicated through same websites.

The Technical Bid 'A' and the Financial Bid (Annexure-B) should be sealed by the bidder/service providers in separate covers duly super-scribed and both the sealed covers are to be put up in a bigger cover which should also be sealed and duly super-scribed. On the outer envelope it must be super-scribed "Tender for providing manpower and horticulture services with item wise contract at NIIRNCD, JODHPUR".

SCOPE OF WORK:-

The Scope of Horticulture Services would include all activities/ sub-activities generally comprised and understood forming part of Horticulture/ Landscape Maintenance Services/ Formation of new landscape and would include the following: -

1. Maintenance of lawns by doing all horticultural operations like weeding, mowing, watering, cleaning, pruning, dressing, applying insecticides and pesticides (manual weeding), sowing and maintenance of regular and seasonal flowers beds etc.
2. Maintenance of potted plants doing all horticultural operations like watering manicuring, hawing pruning etc.
3. Maintenance of hedges doing all the horticultural operations like pruning, watering hawing, maturing etc.
4. Tree pruning at such intervals as may be decided in consultation with the Institute.
5. Removing fallen leaves twigs and other miscellaneous wastes from the road and other paved areas.
6. Maintaining the paved roads along with garden areas, by removing grass weeds etc. from time to time.
7. Keeping the landscaped areas neat, clean and free from all foreign materials, waste etc.
8. Removal of residue/waste, leaves etc. from the campus and dumping at the designated place near the Campus as may be prescribed by local authorities.
9. Planting & maintenance of small and big plants as required will be part of the services.
10. Counseling the Institute about procurement/planting of seasonal flowering plants etc.
11. Acting in co-ordination with other agencies which may be engaged periodically.
12. Day to day maintenance and replacement of indoor plants/potted plants (inside corridor on all floors and around the building) with material like fertilizer, sapling, seeds etc.
13. Deployment of trained malis and Supervisor for day-to-day maintenance & development of the specified Garden of the Institute with flowers & flowering plants as well as decorative plants in the garden, laying of grass in the open space of the garden wherever required any time, beautification including new plantation of trees and sapling, time to time. Maintenance of grass laden lawns inside the garden. The entire area of the garden is to be kept covered with seasonal flowers / small and decorative plants throughout the year, with proper arrangement of gullies & channels & suitable spacing and landscaping including painting etc.

14. Fine Dressing the Ground :-

- i. Spreading of sludge and dump manure of good earth in required thickness.
- ii. Mixing earth and sludge or manure in desirable proportions.

15. Normal Frequency of Activities/Sub-activities :-

- i. **Mowing:** Lawn mowing at regular intervals of 7-10 days in a month or as may be required. This frequency may increase in rainy season.
- ii. **Pruning:** Clipping and trimming of hedges and edges, trimming of shrubs, plants tree creepers bough intervals, stacking of plants whenever and wherever required.
- iii. **Plant Protection:** Periodic checks to be carried out for pests and diseases.
- iv. **Fertilizer:** Manure and fertilizers as required shall be applied by the contractor.
- v. **Irrigation:** Daily adequate watering (except Sunday) of all garden features through sprinkle system in different areas.
- vi. Potted plants in corridors, open areas etc. should be maintained in good condition all the times.

16. Understanding Scope of Services :-

- i. The total plot area is around 4000 sq. m. approx.
- ii. Besides, there are hedges and grass areas in different places of the Institute.
- iii. The Tenderer in their own interest are advised to go through all the relevant details of the services etc. and visit the Campus for fully comprehending the scope of services, conditions of rendering Services etc. before submission of the Tenders.
- iv. The visits to the campus can be made between 10:00 A.M. and 04.00 P.M on any working day by making visit entry on security after taking prior appointment.

Qualifying Bid (The list of the documents to be submitted with technical bid)

1. Bidder's Profile (As in Annexure I) and Declarations/Letters as in Annexure-II to VI.
2. Self-Attested copy of Registration of firm/company.
3. Self-Attested copy of Experience certificate issued by Central/State Government/ Public Sector companies for at least three years or more with documentary evidence & Client List. The copies of experience certificate duly issued by the competent authority should be enclosed. **No work order shall be considered.**
4. Self-Attested copy of PAN card of firm/company.
5. Self attested valid copy of CA certificate with the last three year balance sheet, Income Tax Returns and turnovers i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21.
6. The bidders should have valid registration from the ESI, EPF and under GST (Proof to be enclosed)
7. The firm should not have been black listed by any Central Government/ State Government organizations/Government PSUs/Undertaking/Organizations or allied agencies. A certificate to be given to this effect on plain paper (Certified on agencies own letter head)

8. DD of Rs. 500/- for the cost of bid document in favour of “Director, NIIRNCD, Jodhpur”
Payable at Jodhpur.

All the documents mentioned above are for establishing the eligibility and non submission of these documents will result in rejection of the tender. Tenderers are advised to indicate page number of above enclosure in index. However, in interest of the organization, the Competent Authority, NIIRNCD, can relax any of the terms and condition of this tender document.

General terms and conditions

- 1 The tender must reach at following address on or before **29.03.2022 at 05:30 PM.**
The Director
National Institute for Implementation Research on Non-communicable Diseases,
New Pali Road, Jodhpur-342005.
- 2 The bids will be opened by the Bid opening Committee of the Institute on **30.03.2022 at 11: 00 A.M.** in the presence of representatives of the bidders. At the second stage technical bids and financial bids of the technically qualified Bidders will be opened for further evaluation and ranking before awarding the contract.
- 3 **Financial bid quoting NIL consideration of Zero percent or its derivatives upto 0.9999 percent and thereof as service charge shall be rejected summarily.**
- 4 The selection would be done on basis of lowest rate for total of **Annexure B NIIRNCD, Jodhpur will award the contract accordingly.**
- 5 **Earnest Money:**
The contractor needs to deposit an amount of Rs. 60000/-(Rupees Sixty thousand only) in the form of Demand Draft in favour of Director, NIIRNCD, Jodhpur as earnest money (EMD) at the time of submission of tender. The earnest money (EMD) of unsuccessful tenderer will be returned.
- 6 **Exemption in EMD:-**
All bidders shall have to deposit the Earnest Money Deposit except Micro and Small Enterprises (MSEs) as defined in the MSE Procurement Policy issued by Department of Micro, Small Medium Enterprises (MSME) or are registered with the Central Purchase Organization or concerned Ministry or Department or Startups as recognized by Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) in terms of Department of Expenditure's OM No. F.20/2/2014-PPD (Pt.) dated 25.07.2017. For availing exemption, the concerned firm/agency shall have to submit Valid Registration Certificate with the Tender Document failing which it will not be considered for exemption.

7 **Performance Security:** - The successful bidder will be required to furnish an amount @ 3% of Total Estimated Annual Contract Value (inclusive of GST) Rs. 60000/0 (Rupees sixty thousand only) as a performance security in the form of Bank Guarantee from any Nationalized Bank duly pledged in the name of the "**Director, National Institute for Implementation Research on Non-Communicable Diseases,**" payable at Jodhpur within 30 days from the award of contract. Security Deposit shall be kept valid for a period of 60 days beyond completion of all the contractual obligations. The Performance security deposit can be forfeited by order of this Institute in the event of any breach or negligence or non-observance of any condition of contract or for unsatisfactory performance or non-observance of any condition of the contract. In case, the successful bidder shows inability at any stage, after the contract is finalized and awarded for whatsoever reason(s), to honour the contract, the Performance Security deposit will be forfeited. Performance Security will be discharged after 60 days from the completion of contractor's performance obligations under the contract. No interest on Security Deposit and Earnest Money Deposit shall be paid by the NIIR-NCD to the bidder.

8 **Forfeiture of Security Deposit**

- i. The Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee / Demand Draft can be forfeited by order of the competent authority in the event of any breach or negligence or non-observance of any terms/condition of contract or for unsatisfactory performance or for non-acceptance of the work order. On expiry of the contract, such portion of the said Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee/Demand Draft as may be considered by this office, sufficient to cover any incorrect or excess payments made on the bills to the firm, shall be retained until the final audit report on the account of firm's bill has been received and examined.
- ii. If the work is not commenced on the date of starting the work after work is awarded to the contractor.
- iii. Unsatisfactory performance
- iv. Non-performance of the contractor.

9 The firm shall be liable to implement the Labour laws, minimum wages Act and other social legislations Act i.e. EPF, ESI etc. as amended & notified by Govt. of India from time to time for the manpower engaged by the agency.

10 The Contractor will have to depute the manpower as follows:

10 Persons (06 Unskilled + 04 Skilled) for Horticulture Services at NIIRNCD Jodhpur Campus.

The above no. of persons may be increased or decreased as per the requirement of the Institute. Wages for these persons will be applicable as per rates as prescribed by /Central/ Rajasthan Govt. whichever is higher..

11 The minimum qualification and experience would be as under:

S. No.	Category of the manpower	Essential Qualification
01	Supervisor (Skilled)	At least 10 th pass or equivalent with at least 02 years experience of horticulture & allied works.
02	Trained Mali (Skilled)	At least 10 th pass or equivalent with at least 02 years experience of horticulture& allied works
03	Unskilled worker	Literate with working knowledge of horticulture & allied words.
04	Semi Skilled/Unskilled supervisory	At least 10 th pass or equivalent with working knowledge of horticulture & allied words.
05	Highly Skilled	At least Graduate or equivalent in concerned field with at least 02 years experience of horticulture& allied works

- 12 The contractor will ensure that his staff members are disciplined neatly dressed and speak politely to officials in the Campus.
- 13 NIIR-NCD will not be responsible for any injury, loss of life or any mishap to contractor's staff while on duty during stay in premises or otherwise.
- 14 The Contractor will provide uniform to his staff.
- 15 The agency before submitting the tender may inspect the office premises during office hours on any working days.
- 16 The number of man power mentioned above may vary at any time as per the demand of this Office.
- 17 This Office reserves the right to accept or reject any tender/quotation without assigning any reason.
- 18 The Contractor shall ensure that the premises of Campus & its surroundings are kept neat and clean.
- 19 The contractor will be responsible for discharging liabilities in respect of the workers working under him as per Central/ State Govt. rules & regulations.
- 20 The payment of wages/salary to the outsourced staff to be made mandatorily through electronic bank transfers.
- 21 The contractor has to sign an agreement on a non-judicial stamp paper as per stamp Act within seven days of award of work.
- 22 The Contract can be terminated by NIIR-NCD any time by giving one months notice.

- 23 No conditional bid shall be entertained.
- 24 NIIR-NCD will have the right to verify the authenticity of documents submitted by personal inspection/visit the contractor establishment.
- 25 Evaluation of Performance: After 3 months of operation, the contractor will be evaluated on the basis of the guidelines and rules detailed in this document. If the contractor fails to meet the expectation and promises made, license agreement can be cancelled.
- 26 Fulfillment of Statutory Provisions: The contractor will ensure the compliance of all statutory provisions i.e. Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Industrial Disputes Act, Contract labour (Regulations and Abolition) Act, ESIC Act, 1948 and EPF Act, 1952 and all other labour and industrial enactment at his own risk and cost in respect of all staff employed by him. The Institute shall be indemnified for any action brought against it for any violation/non-compliance of any of the provisions of any of the acts, etc. Hence, non-compliance or violation of any of these provisions of any of the Acts would lead to the immediate termination of the contract. Contractor will submit the proofs of payments towards EPF, ESIC and GST (if applicable) dues of previous month for claiming subsequent month's payment.
- 27 Details of Workers:**
The contractor shall submit a list of workers, with complete details including local/permanent addresses, contact details, and their photographs etc, for approval, which may be allowed to work at NIIRNCD. NIIRNCD reserves right to reject any or all the names without assigning any reason thereof. Only those workers who have been cleared by the NIIR-NCD will be allowed to enter into the premises of the Campus.
- 28 The contractor has to provide the Photo Identity card to the persons employed by him for carrying out the work. These cards are to be constantly displayed and their loss to be reported immediately.
- 29 **Subletting of Work:** The firm/party shall not assign or sublet the work or any part of it to any other person or party without having first obtained permission in writing of the competent authority who will be at liberty either to refuse or accept the same.
- 30 The character and antecedent of the staff provided by the agency should be verified by local police and a certificate to this effect should be enclosed while providing the details of workers.
- 31 Payment date of Salary to the Workmen:**

The Contractor has to pay the salary to workmen by 10th of every month for immediate previous months work without waiting for clearance of his pending bills. Any delay in the payment will be penalized by Rs. 2000 (two thousand) per day. The Payment shall be made strictly on satisfactory work and on daily attendance basis. Contractor will issue salary slip to all staff members engaged and shall remit the salary in the staffs account through NET banking to ensure the timely payment. Contractor will also be responsible for the opening of bank account of all employees to nearby bank at their own cost in order to transfer the salaries of employees' directly to their accounts.

32 Maintenance of Attendance Record:

The contractor has to maintain attendance record of workmen and NIIRNCD in-Charge shall certify that a copy of the same record shall be submitted every month along with the bill for payment.

33 Accident or Injury to Workmen:

The Institute shall not be liable for any damage or compensation payable in respect of or in consequence of any accident or injury to any workmen or other person in the employment of the contractor through claim from insurance company. The contractor shall indemnify and keep the Institute indemnified against all such damage and compensation whatsoever in respect or in relation thereto.

34 Medical Fitness of engaged Workers:-

- i. The contractor shall employ only healthy adult and trained staff with good health and sound mind for all services.
- ii. The contractor will ensure that all employees engaged by him are free from communicable/ infectious disease and are medically fit to work at NIIRNCD. NIIR-NCD will conduct medical examination at the cost of the agency if required.
- iii. The vendor shall furnish medical fitness certificate for all his employees issued by a qualified R.M.P. periodically once in 6 months. The cost of the medical examination will be borne by the contractor.

35 Compliance of Institute's Security & Safety Regulations:

The contractor will be responsible for his employees in observing all security and safety regulations and instructions as may be issued by the Institute from time to time. The contractor will be responsible to take appropriate disciplinary actions against his workers to fulfill his obligations under this agreement, provided that, action should be taken in accordance with Industrial Employment (Standing Order) Act, 1946 and the NIIR-NCD Authority should be informed at every point of time.

36 Contractor will ensure that their employees should protect the Institute's information received during discharge of their duties from any unauthorized disclosure to third party without permission.

37 Penalty of Unsatisfactory Service:

- i. In case the services are found deficient on any one particular day in a month, a penalty of 1% (one percent) of the monthly contract amount for unsatisfactory service.
- ii. In case Services are found deficient for 2 to 4 days in a month, penalty of 2% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency is found for more than 4 day and up to 7 days a penalty of 3% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day. If deficiency found more than 7 days up to 10 days , a penalty of 5% of the monthly contract amount will be levied for each deficient day.
- iii. If unsatisfactory performance continues for more than a period of 10 days, the Director, NIIR-NCD reserves the right to terminate the contract without any further notice. In such an event, the Security Deposit of the Contractor shall be liable to be forfeited.
- iv. **Unsatisfactory services/Deficiency in services includes, but is not limited to the following:**
- v. Late coming; Coming in shoddy/dirty uniform; Reporting drunk/ill/unkept; Leave without 1 day prior information; Fudging/Tampering attendance register/biometric machine; Rude, impolite behavior; Lazy, uncooperative in rendering duty; Damage to property of NIIR-NCD; any act so as to cause damage to prestige reputation of NIIR-NCD; Smoking/pan/bidi during working hours; Attending personal phone calls during working hours; Violence of any kind, infighting, groupism with fellow staff; insubordination; Financial irregularity; Bringing/allowing unauthorized person into premises; Coming without badge/ I card; Refusing to attend training course designated by NIIR-NCD etc.

38 Terms of payment:

- i. The bill in duplicate along with duly signed copy of attendance register should be sent to this office for payment by 1st week of the following month.
- ii. No Payment shall be made in advance or any loan from any bank or financial institution shall be recommended on the basis of the order of award of work. Payment of bills would take about two weeks time on an average from the date of submission of the bill.
- iii. All payments shall be made by cheques/PFMS only, in the name of the firm/company.
- iv. The competent authority shall be at liberty to withhold any of the payments in full or in part subject to recovery of penalties mentioned in preceding paragraph.

39 PERIOD OF THE CONTRACT:-

- i. The contract will be initially for a period of one year and may be extended on satisfactory performance of the agency for a period of another one year at the discretion of the Director, NIIR-NCD Jodhpur.
 - ii. The contract is liable to be terminated after giving at least one month's notice in writing with reasons from either side in the normal course.
 - iii. In case of unsatisfactory performance, the contract of any person may be terminated at any time at the discretion of the Director.
- 40 The contractor shall not be entitled to assistance either, in the procurement of raw materials required for the fulfillment of the contract or in the securing of transport facilities.
- 41 The agency shall be responsible for beautification and proper maintenance of horticultural gardens, within the Campus of NIIRNCD, Jodhpur..
- 42 The contractor / agency will be responsible for compliance of all laws, acts and rules made there under, statutory orders issued from time to time in relation to the environment and man-power deployed by them for performance of the job under reference and the NIIRNCD will have a right to be indemnified in respect of any consequences resulting from any breach or violation by the contractor of such rules, statutory obligations etc.
- 43 Except supply of free water by the NIIRNCD in the garden, all other inputs like fertilizer, sapling, seeds and all tools & implements used for growing flowers & plantation or for cutting grass & removing weeds, are to be supplied by the tenderer and disposing off the wastes are to be borne by the tender.
- 44 Service provider will be required to maintain the entire area covered in the contract in best conditions throughout the year, irrespective of the weather conditions. Failure on the part of the contract to maintain the area in the desired condition shall invite a penalty of 1% (of the Tender value for one month) per week of the period during which the area remained out of the desired condition, subject to a maximum of 10%. Thereafter, NIIRNCD can consider termination of the Contract and forfeit the Performance Security. The NIIRNCD can also consider blacklisting such firm.
- 45 Jurisdiction of Court: This contract is governed by the laws of Republic of India and shall be subject to be exclusive jurisdiction of the High Court in Jodhpur, Rajasthan.

Director NIIR-NCD

BIDDER'S PROFILE

1	Name of Tendering Company/ Firm / Agency (Attach certificate of registration)	
2	Type of firm i.e. Proprietorship / partnership or company registered under company act 1956 (Attach Self Attested copy)	
3	Name of proprietor / Director of Company/Firm/agency	
4	Full Address of Registered Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
5	Full address of Operating/Branch Office with Telephone No., FAX No. & E-Mail	
6	PAN / GIR/TAN No (Attach Self Attested copy)	
7	GST Registration No. (Attach Self Attested copy)	

8. Self-Attested copy of experience certificate / certificates issued by the competent authority for the satisfactory work Horticulture to Central/State Government/ Public Sector companies for three or more year with documentary evidence & Client List. The copies of experience certificate duly issued by the competent authority should be enclosed. No work order shall be considered.

The summary of that can be tabulated in the given format in chronological order:-

S.N.	Details of client along with address, telephone and FAX numbers	Amount of Contract (Rs. lakhs)	Experience certificate for the period	
			From	To
1				
2				
3				

(If the space provided is insufficient, a separate sheet may be attached)

• Place:

•Signature of authorized person

• Seal:

**DECLARATION REGARDING BLACKLISTING/ NON-BLACKLISTING FROM
TAKING PART IN GOVT.TENDER BY DOT/GOVT. DEPT**

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----
-----hereby declare that the firm/company namely M/S.-----
-----has not been blacklisted or
debarred in the past by NIIRNCD or any other Government organization from taking part in
Government tenders.

Or

I / We Proprietor/ Partner(s)/ Director(s) of M/S.-----
-----hereby declare that the firm/company namely
M/S.-----was blacklisted or debarred
by NIIRNCD, or any other Government Department from taking part in Government tenders for
a period of -----years w.e.f.----- . The period is over on -----and now the
firm/company is entitled to take part in Government tenders.

In case the above information found false I/We are fully aware that the tender/ contract will be
rejected/cancelled Director, NIIRNCD, Jodhpur and EMD/SD shall be forfeited.

In addition to the above, Director, NIIRNCD, Jodhpur will not be bound to pay the bills for any
completed / partially completed work.

Signature -----

Date:

Name -----

Capacity in which as signed:

Name & address of the firm:

Seal of the firm should be affixed.

**DECLARATION
FOR NO NEAR RELATIVE (S) OF THE CONTRACTOR WORKING IN NIIRNCD,
JODHPUR**

I.....S/O

Sh.....

R/o.....Hereby certify that none of my relative (s) as defined in the tender document is/are employed in NIIRNCD, Jodhpur as per detail given below. In case at any stage, it is found that the information given by me is false/incorrect, NIIRNCD shall have the absolute right to take any action as deemed fit, without any prior intimation to me.

Signature of the tenderer with

seal

The near relative (s) means:

- Members of a Hindu Undivided family;
- Spouse.
- Father, mother, sister, Sister-in-law, Daughter, Daughter-in-law, brother, brother-in-law etc.

In case of proprietorship firm, certificate will be given by the proprietor, and in case of partnership firm, certificate will be given by all the partners and in case of Ltd. Company by all the Directors of the company or company secretary on behalf of all directors. Any breach of these conditions by the company or firm or any other person, the tender/work will be cancelled and earnest money/security deposit will be forfeited at any stage whenever it is so noticed. The department will not pay any damages to the company or firm or the concerned person. The company or firm or the persons will also be debarred for further participation in the concerned unit.

Place:

Signature of tenderer/Authorized Signatory

Date:

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer

DECLARATION

FOR NON-TAMEPRING OF DOWNLOADED TENDER DOCUMENT FROM WEB SITE

I.....(authorized signatory) hereby declare that the tender document submitted has been downloaded from the website <https://eprocure.gov.in/> <https://niirncd.icmr.org.in/> and no addition / deletion / correction has been made in the downloaded document. I also declare that I have enclosed a DD for Rs..... towards the cost of tender document along with the EMD.

Place:

Signature of tenderer/Authorized Signatory

Date:

Name of the Tenderer

Seal of the Tenderer

ANNEXURE-V

DECLARATION

LETTER OF AUTHORISATION FOR ATTENDING THE OFFICE

To,
Director,
NIIRNCD, New Pali Road,
Jodhpur.

Sub: Authorization for attending the office on _____ (date) in the Tender of

Sir,

Following person is authorized to attend the office for the tender mentioned above on behalf of
_____ (Bidder).

Name of the Representative

Specimen Signature

1. _____

Signature of the Bidder

(Maximum one representative will be permitted to attend the office. Permission for entry to the office may be refused in case authorization as prescribed above is not received.)

Annexure A

**National Institute for Implementation Research on Non Communicable
Diseases, Jodhpur**

(Technical Bid)

1.	Name of the Proprietor	
2.	Name of the firm/agency*	
3.	Address of the firm/agency*	
4.	Telephone No.	
5.	Registration No.	
6.	Trade for which registered*	
7.	Specimen signature of the person authorized: for signing the tender*	
8.	Name & Address of the Banker with Account NO,IFSC Code	
9.	Income Tax PAN/TAN No. *	
10.	Registration No*. and date, if any as under (a) Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 (b) E.P.F. Act* : (c) E.S.I. Act* : (d) GST Act *:	
11.	Details of Earnest Money (EMD) (DD No., Date & Amount)	
12.	Details of Tender fee (DD No., Date & Amount)	
13.	Self attested copy of CA certificate with the last three year balance sheet, Income Tax Returns and turnovers i.e. 2018-19, 2019-20 and 2020-21	
14.	Three year experience in relevant field	
15.	Non Black listed Certificate	
16.	Certificate of No Relation with NIIRNCD Officials.	

* Relevant documents of registration of firm Income Tax, GST, TIN, EPF and ESI etc must be attached along with EMD and tender fee in technical Bid.

Signature of Tenderer with date

Annexure –B

National Institute for Implementation Research on Non Communicable Diseases, Jodhpur

(Financial Bid)

S. No	Description	Monthly Charges in Rupees	Total Yearly Amount (in Rs.)
1	Service Charge for unskilled staffs (06 Nos.) at NIIRNCD, Jodhpur (RAJ).		
2	Service Charge for skilled staffs (04 Nos.) at NIIRNCD, Jodhpur (RAJ).		
3	Service Charge for Semi skilled staffs (01 Nos.) at NIIRNCD		
4	Service Charge for Highly skilled staffs (01 Nos.) at NIIRNCD		
	Total Monthly Service Charge in Words:		

(The contractors must ensure that service charge quoted should not be NIL or its derivatives.)

- Minimum wages, EPF, ESI, Bonus etc. will be as per rule.

Note:

1. As per Govt. of India Gazette the ESI subscription rates have been reduced from 4.75% earlier to 3.25 % from 1st of July, 2019.
2. EPF contribution taken on maximum wage ceiling of Rs. 15000/-
3. Upper limit of ESI applicability is Rs. 21000/-
4. Upper limit of bonus applicability is Rs. 7000/-
5. Wages are subject to amendments as and when promulgated by the concerned authorities from time to time.
6. The above mentioned minimum wages will be charged as per Central/Rajasthan government rules and whichever would be higher will be applicable.

Signature of Tenderer with date

सं. एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी./स्थापना/स्टोर/निविदा/बागवानी/2021

दिनांक : 08-03-2022

निविदा दस्तावेज की लागत रु. 500/-

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान
(एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी.)
नई पाली रोड जोधपुर 342005

जनशक्ति और बागवानी सेवाओं
के लिये
निविदा दस्तावेज़

निविदा प्रक्रिया के लिए समय सारिणी:

आधिकारिक वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर निविदा अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि	08-03-2022
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	29-03-2022 5:30 PM
निविदा दस्तावेज खोलने की तिथि एवं समय	30-03-2022 11:00 AM
निविदा दस्तावेज जमा करने का स्थान	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर

नोट: इस निविदा दस्तावेज में 21 पृष्ठ हैं (अनुलग्नकों सहित पृष्ठों की कुल संख्या) और निविदाकारों से सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध है।



परिचय:

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान 07 दिसंबर 2019 को अस्तित्व में आया। इसका पूर्ववर्ती नाम "मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र" था, जो बदल गया है। संस्थान के पास सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन और वेक्टर जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में बुनियादी प्रयोगशाला आधारित अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा है। संस्थान असंचारी रोगों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने के लिए अपनी क्षमता को सशक्त बनाने हेतु जनशक्ति और सुविधाएं प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में, संस्थान में 11 समर्पित वैज्ञानिकों, 16 तकनीकी कर्मचारियों का एक समूह है, जो 21 प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों द्वारा समर्थित है। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र भारत में जन स्वास्थ्य महत्व के हृदय रोग, सांस की प्राणी बीमारियां, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पोषण संबंधी विकार, कैंसर, चोट और आघात, मादक द्रव्यों के सेवन सहित मानसिक बीमारियां, आनुवंशिक रोग और अन्य असंचारी रोग हैं। संस्थान महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वयन अनुसंधान करने, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में कार्यान्वयन अनुसंधान के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने, विभिन्न असंचारी रोगों के जोखिम कारकों से निपटने के लिए व्यवहार परिवर्तन संचार सामग्री और मॉडल विकसित करने की इच्छा रखता है। संस्थान इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के साथ सहभागिता के लिए हार्दिक स्वागत करता है।

निविदा आमंत्रण सूचना:

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में जनशक्ति और बागवानी सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी का चयन।

निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर) अपनी वेबसाइट <https://main.icmr.nic.in/tenders> और <https://niirnacd.icmr.org.in/tenders.php> तथा सीपीपी पोर्टल <https://eprocure.gov.in/> के माध्यम से प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से आइटम वार अनुबंध प्रकार के साथ जनशक्ति और बागवानी सेवाएं प्राप्त करने के लिए दो-बोली प्रणाली के तहत सीलबंद लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित करता है। भविष्य में किसी भी स्पष्टीकरण और/या शुद्धिपत्र को इन्हीं वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

तकनीकी बोली 'ए' और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-बी) को बोलीदाता/सेवा प्रदाताओं द्वारा अलग-अलग लिफाफों में विधिवत उपर अंकित करके सील किया जाना चाहिए और दोनों सीलबंद लिफाफों को एक बड़े

लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उसे भी सील किया जाना चाहिए तथा और बाहरी लिफाफे पर विधिवत लिखा जाना चाहिए। बाहरी लिफाफे पर "एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में आइटम वार अनुबंध के साथ जनशक्ति और बागवानी सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए।

कार्य-क्षेत्र

बागवानी सेवाओं के दायरे में सभी गतिविधियां/उप-गतिविधियां शामिल होंगी जो आम तौर पर बागवानी/भू-दृश्य रखरखाव सेवाओं/नए भू-दृश्य की रचना का हिस्सा होती हैं और समझी जाती हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: -

1. सभी बागवानी कार्यों जैसे निराई, घास काटना, पानी देना, सफाई, छंटाई, खाद, कीटनाशक और कीटनाशक (मैनुअल निराई), बुवाई तथा नियमित और मौसमी फूलों की क्यारियों का रखरखाव आदि करके लॉन का रखरखाव।
2. सभी बागवानी कार्यों जैसे पानी देना, खाद डालना, छंटाई करना आदि करके गमले में लगाए गए पौधों का रखरखाव।
3. सभी बागवानी कार्यों जैसे छंटाई, पानी देना, जुताई, खाद डालना आदि करके बाड़ों का रखरखाव।
4. संस्थान के परामर्श से तय किए गए अंतराल पर पेड़ों की छंटाई करना।
5. सड़क और अन्य पक्के क्षेत्रों से गिरे हुए पत्तों की टहनियों और अन्य विविध कचरे को हटाना।
6. समय-समय पर घास-फूस आदि हटाकर उद्यान क्षेत्रों के साथ-साथ पक्की सड़कों का रख-रखाव करना।
7. भू-भाग वाले क्षेत्रों को साफ, स्वच्छ और सभी भिन्न सामग्री, अपशिष्ट आदि से मुक्त रखना।
8. परिसर से अवशेष/अपशिष्ट, पत्ते आदि को हटाना और परिसर के पास निर्धारित स्थान पर डालना जैसा कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
9. आवश्यकतानुसार छोटे और बड़े पौधों का रोपण और रखरखाव सेवाओं का हिस्सा होगा।
10. मौसमी फूलों के पौधों आदि की खरीद/रोपण के बारे में संस्थान को परामर्श देना।

11. अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करना जिन्हें समय-समय पर लगाया जा सकता है।
12. अंदर रखे पौधों/गमलों में लगे पौधों (सभी मंजिलों पर और भवन के चारों ओर गलियारे के अंदर) का दैनिक रखरखाव और उनको उर्वरक, पौधे, बीज आदि जैसी सामग्री के साथ बदलना।
13. फूलों और फूलों के पौधों के साथ-साथ बगीचे में सजावटी पौधों के साथ संस्थान के निर्दिष्ट उद्यान के दैनिक रखरखाव और विकास के लिए प्रशिक्षित माली और पर्यवेक्षक की तैनाती, किसी भी समय जहां आवश्यक हो, बगीचे के खुले स्थान में घास लगाना , समय-समय पर नए वृक्षारोपण और पौधे लगाने सहित सौंदर्यीकरण। बगीचे में लगी घास के लॉन का रखरखाव। बगीचे के पूरे क्षेत्र को पूरे वर्ष मौसमी फूलों/छोटे और सजावटी पौधों से ढका रखा जाना है, जिसमें गली और चैनलों की उचित व्यवस्था और पेंटिंग आदि सहित उपयुक्त जगह और भूदृश्य निर्माण शामिल है।
14. मैदान में अच्छी खाद लगाना :-
 - i. आवश्यक मोटाई में अच्छी मिट्टी की गाद और डंप खाद को फैलाकर लगाना।
 - ii. मिट्टी और गाद या खाद को वांछित अनुपात में मिलाना।
15. क्रियाकलापों/उप-गतिविधियों की सामान्य आवृत्ति :-
 - i. बुवाई: महीने में 7-10 दिनों के नियमित अंतराल पर या आवश्यकतानुसार लॉन की कटाई। बारिश के मौसम में यह आवृत्ति बढ़ सकती है।
 - ii. छँटाई: बाड़ों और किनारों की कतरन और काट-छाँट, झाड़ियों, पौधों, पेड़ों, लताओं, टहनियों की काट-छाँट, जब भी और जहाँ भी आवश्यक हो, पौधों को तोड़ना।
 - iii. पौधों का संरक्षण: कीटों और बीमारियों के लिए समय-समय पर जांच की जानी चाहिए।
 - iv. उर्वरक : ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग किया जायेगा।
 - v. सिंचाई: विभिन्न क्षेत्रों में छिड़काव प्रणाली के माध्यम से उद्यान के सभी हिस्सों में रोज पर्याप्त पानी लगाना (रविवार को छोड़कर)।
 - vi. गलियारों, खुले क्षेत्रों आदि में गमले वाले पौधों को हर समय अच्छी स्थिति में रखा जाना चाहिए।
16. सेवाओं के दायरे को समझना :-

- i. कुल भूखंड क्षेत्र लगभग 4000 वर्ग मीटर है।
- ii. इसके अलावा, संस्थान के विभिन्न स्थानों में बाड़े और घास के क्षेत्र हैं।
- iii. निविदाकारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे सेवाओं आदि के सभी प्रासंगिक विवरणों को देखें और निविदाएं जमा करने से पहले सेवाओं के दायरे, सेवाएं प्रदान करने की शर्तों आदि को पूरी तरह से समझने के लिए परिसर का दौरा करें।
- iv. परिसर का दौरा पूर्व में सूचना देकर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से पूर्वाह्न 04.00 बजे के बीच सेक्युरिटी के पास विजिट एंट्री करके किया जा सकता है।

योग्यता बोली (तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची)

1. बोलीदाता का प्रोफाइल (अनुबंध I के अनुसार) और अनुबंध-II से VI तक की घोषणाएं/पत्र।
2. फर्म/कंपनी के पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति।
3. दस्तावेजी साक्ष्य और ग्राहक सूची के साथ केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कम से कम तीन साल या उससे अधिक के अनुभव प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। **किसी भी कार्य आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।**
4. फर्म/कंपनी के पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी।
5. पिछले तीन साल अर्थात 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और टर्नओवर के साथ सीए सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड वैलिड कॉपी।
6. बोलीदाताओं के पास ई.एस.आई., ई.पी.एफ. और जी.एस.टी. के तहत वैध पंजीकरण होना चाहिए (प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए)
7. फर्म को किसी केंद्र सरकार/राज्य सरकार के संगठनों/सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों/उपक्रमों/संगठनों या संबद्ध एजेंसियों द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाना चाहिए। इस आशय का एक प्रमाण पत्र सादे कागज पर दिया जाना है (एजेंसियों के अपने लेटर हेड पर प्रमाणित)
8. "निदेशक, एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर" के पक्ष में बोली दस्तावेज की लागत के लिए जोधपुर में देय 500 / - रुपये का डीडी।

ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेज पात्रता स्थापित करने के लिए हैं और इन दस्तावेजों को जमा न करने पर निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि

वे सूचकांक में उपरोक्त संलग्नक की पृष्ठ संख्या इंगित करें। तथापि, संगठन के हित में, सक्षम प्राधिकारी, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., इस निविदा दस्तावेज के किसी भी नियम और शर्त में छूट दे सकता है।

सामान्य नियम और शर्तें

1. निविदा निम्नलिखित पते पर दिनांक 29-03-2022 को शाम 5:30 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए
निदेशक
राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान
(आई.सी.एम.आर.-एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.),
नई पाली रोड, जोधपुर-342005
2. तकनीकी बोलियां संबंधित समिति द्वारा दिनांक 30-03-2022 को प्रातः 11:00 बजे बोली लगाने वालों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। दूसरे चरण में, तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां अनुबंध देने से पहले आगे के मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए खोली जाएंगी।
3. जिन वित्तीय बोलियों में सेवा शुल्क को शून्य प्रतिशत या उससे व्युत्पन्न 0.9999 प्रतिशत तक दर्शाया जाएगा, उसे शून्य के रूप में विचार करते हुए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
4. अनुबंध बी के कुल न्यूनतम दर के आधार पर चयन किया जाएगा एनआईआईआरएनसीडी, जोधपुर तदनुसार अनुबंध प्रदान करेगा।
5. बयाना राशि:
निविदाकर्ता को निविदा जमा करते समय बयाना राशि (ई.एम.डी.) के रूप में डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च ऑन नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज, जोधपुर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 60,000/- रुपये (साठ हजार रुपये मात्र) की राशि जमा करने की आवश्यकता है। असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि (ई.एम.डी.) वापस कर दी जाएगी।
6. बोली सुरक्षा घोषणा में छूट:-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (एम.एस.एम.ई.) द्वारा जारी एम.एस.ई. खरीद नीति में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) को छोड़कर या जो व्यय विभाग,, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. F.20/2/2014-PPD (Pt.) दिनांक 25.07.2017 के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय खरीद संगठन या संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्टार्टअप के साथ पंजीकृत हैं; को छोड़कर; सभी बोलीदाताओं को बोली सुरक्षा घोषणा जमा करनी होगी। छूट प्राप्त करने के लिए, संबंधित फर्म/एजेंसी को निविदा दस्तावेज के साथ वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर छूट के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

7. निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) :

सफल बोलीदाता को अनुबंध प्रदान करने के 30 दिनों के अंदर कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) के तौर पर "निदेशक, राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान" के नाम पर जोधपुर में देय किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी के रूप में विधिवत गिरवी रखी गई कुल अनुमानित वार्षिक अनुबंध मूल्य (जीएसटी सहित) के 3% की दर से 60,000 (साठ हजार रुपये मात्र) की राशि प्रस्तुत करनी होगी। जमानत राशि सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद की तिथि से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रखी जाएगी। किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) इस संस्थान के आदेश द्वारा जब्त की जा सकती है। यदि, अनुबंध को अंतिम रूप देने और अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद, अनुबंध निबाहने के लिए, सफल बोलीदाता किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से असमर्थता दिखाता है, कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) को जब्त कर लिया जाएगा। अनुबंध के तहत ठेकेदार के कार्य निष्पादन दायित्वों को पूरा करने के 60 दिनों के बाद प्रदर्शन सुरक्षा का भुगतान किया जाएगा। एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा बोलीदाता को कार्य निष्पादन सुरक्षा जमा (जमानत राशि) और बयाना राशि पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

8. जमानत राशि की जब्ती

8.1 सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट को सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा किसी भी उल्लंघन या लापरवाही या अनुबंध के किसी भी नियम / शर्त का पालन न

करने या असंतोषजनक प्रदर्शन या कार्य आदेश की गैर-स्वीकृति के मामले में जब्त किया जा सकता है। अनुबंध की समाप्ति पर, उक्त सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी / डिमांड ड्राफ्ट का ऐसा हिस्सा जैसा कि इस कार्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है, फर्म को बिलों पर किए गए किसी भी गलत या अधिक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त हो, फर्म के बिल की लेखा परीक्षा फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी जांच करने तक रखा जाएगा।

8.2 यदि ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के बाद कार्य प्रारंभ करने की तिथि पर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है।

8.3 असंतोषजनक प्रदर्शन

8.4 ठेकेदार का गैर-कार्य निष्पादन।

9. एजेंसी द्वारा नियुक्त जनशक्ति के लिए फर्म समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित और अधिसूचित श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य सामाजिक विधान अधिनियम अर्थात् ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।

10 ठेकेदार को निम्नानुसार जनशक्ति की प्रतिनियुक्ति करनी होगी:

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. जोधपुर परिसर में बागवानी सेवाओं के लिए 10 व्यक्ति (06 अकुशल + 04 कुशल)।

उपरोक्त व्यक्तियों की संख्या को संस्थान की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इन व्यक्तियों के लिए मजदूरी केंद्र/राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लागू होगी, जो कोई ज्यादा हो।

11 न्यूनतम योग्यता और अनुभव निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	जनशक्ति की श्रेणी	आवश्यक योग्यता
01	पर्यवेक्षक (कुशल)	कम से कम 10 वीं पास या समकक्ष के साथ बागवानी और संबद्ध कार्यों में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।

02	प्रशिक्षित माली (कुशल)	कम से कम 10 वीं पास या समकक्ष के साथ बागवानी और संबद्ध कार्यों में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव।
03	अकुशल मजदूर	बागवानी और संबद्ध कार्यों के ज्ञान के साथ साक्षर।
04	अर्ध कुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी	बागवानी और संबद्ध कार्यों के कार्यसाधक ज्ञान के साथ कम से कम 10 वीं पास या समकक्ष।
05	अत्यधिक कुशल	बागवानी और संबद्ध कार्यों के कम से कम 02 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम स्नातक या समकक्ष

12. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ सदस्य अनुशासित हों, साफ-सुथरे कपड़े पहने हों और कैंपस में अधिकारियों से विनम्रता से बात करें।
13. परिसर में रहने के दौरान या अन्यथा इयूटी के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों को किसी भी चोट, जीवन की हानि या किसी दुर्घटना के लिए एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. जिम्मेदार नहीं होगा।
14. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को वर्दी उपलब्ध कराएगा।
15. एजेंसी निविदा जमा करने से पहले किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय परिसर का निरीक्षण कर सकती है।
16. ऊपर उल्लिखित जनशक्ति की संख्या इस कार्यालय की मांग के अनुसार किसी भी समय भिन्न हो सकती है।
17. यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा/उद्धरण को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
18. ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर और उसके आसपास को साफ सुथरा रखा जाए।
19. केंद्र/राज्य सरकार के नियम और विनियम के अनुसार ठेकेदार अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के संबंध में देनदारियों के निर्वहन के लिए जिम्मेदार होगा।
20. आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किया जाना है।
21. ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के सात दिनों के भीतर स्टाम्प अधिनियम के अनुसार एक गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा।

22. अनुबंध को एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा किसी भी समय एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।
23. किसी भी सशर्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।
24. एनआईआईआर-एनसीडी को व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने/ठेकेदार के प्रतिष्ठान का दौरा करने का अधिकार होगा।
25. **कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन:** संचालन के 3 माह बाद ठेकेदार का मूल्यांकन इस दस्तावेज में वर्णित दिशा-निर्देशों एवं नियमों के आधार पर किया जायेगा। यदि ठेकेदार अपेक्षाओं और किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहता है, तो लाइसेंस समझौता रद्द किया जा सकता है।
26. वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति: ठेकेदार उसके द्वारा नियोजित सभी कर्मचारियों के संबंध में अपने जोखिम और लागत पर सभी वैधानिक प्रावधानों, अर्थात् न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, ईएसआईसी अधिनियम, 1948 और ईपीएफ अधिनियम, 1952 और सभी अन्य श्रम और औद्योगिक अधिनियमन का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। किसी भी अधिनियम, आदि के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए इसके खिलाफ लाई गई किसी भी कार्रवाई के लिए संस्थान को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसलिए, किसी भी अधिनियम के इन प्रावधानों का पालन न करने या उल्लंघन करने पर अनुबंध तत्काल समाप्त हो जाएगा। ठेकेदार अगले महीने के भुगतान का दावा करने के लिए पिछले महीने के ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. और जी.एस.टी. (यदि लागू हो) के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
27. **श्रमिकों का विवरण:**
ठेकेदार श्रमिकों की एक सूची के साथ उनके स्थानीय/स्थायी पते, संपर्क विवरण, और उनकी तस्वीरों आदि सहित पूर्ण विवरण अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिन्हें एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी नामों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा क्लियर किए गए कर्मचारियों को ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

28. ठेकेदार को कार्य करने के लिए उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा। इन कार्डों को लगातार प्रदर्शित किया जाना है और उनके नुकसान की तुरंत सूचना दी जानी है।
29. **कार्य किसी और को सौंपना (सबलेटिंग):**
फर्म/पार्टी सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कार्य या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को नहीं सौंपेगा या सबलेट नहीं करेगा, जो इसे अस्वीकार करने या स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाना चाहिए और श्रमिकों का विवरण प्रदान करते हुए इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
31. **कर्मकारों को वेतन भुगतान की तिथि :**
ठेकेदार को अपने लंबित बिलों की निकासी की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल पिछले महीने के काम के लिए हर महीने की 10 तारीख तक कामगारों को वेतन का भुगतान करना होगा। भुगतान में किसी भी तरह की देरी पर 2000 (दो हजार) रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। भुगतान पूर्णतः संतोषजनक कार्य एवं दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। ठेकेदार सभी कर्मचारियों को वेतन पर्ची जारी करेगा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नेट बैंकिंग के माध्यम से कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करेगा। कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके खातों में स्थानांतरित करने के लिए ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर सभी कर्मचारियों के खाते पास के बैंक में खुलवाने के लिए भी जिम्मेदार होगा।
32. **उपस्थिति रिकॉर्ड का रखरखाव:**
ठेकेदार को कामगारों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना होगा और एनआईआईआरएनसीडी प्रभारी इसकी एक प्रति प्रमाणित करेंगे और यह रिकॉर्ड हर महीने भुगतान के लिए बिल के साथ जमा किया जाएगा।
33. **दुर्घटना या कामगार को चोट:**
संस्थान बीमा कंपनी के दावे के माध्यम से ठेकेदार के रोजगार में किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी भी दुर्घटना या चोट के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप देय किसी भी क्षति या मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार इस तरह के सभी नुकसान और मुआवजे के संबंध में संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।

34. लगाए गए कामगारों की चिकित्सा स्वस्थता:-

- ठेकेदार सभी सेवाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वस्थ दिमाग वाले स्वस्थ वयस्क और प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही नियुक्त करेगा।
- ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त सभी कर्मचारी संचारी/संक्रामक रोग से मुक्त हैं और एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं। यदि आवश्यक हुआ तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. एजेंसी के खर्च पर चिकित्सा परीक्षण करेगा।
- ठेकेदार समय-समय पर, 6 महीने में एक बार, अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक योग्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी किया गया मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। चिकित्सा जांच का खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. एजेंसी के खर्च पर चिकित्सा परीक्षण करेगा।

35 संस्थान की रक्षा और सुरक्षा विनियमों का अनुपालन:

संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले सभी रक्षा और सुरक्षा नियमों और निर्देशों का पालन कराने हेतु ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए जिम्मेदार होगा। ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगा, बशर्ते कि कार्रवाई औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अनुसार की जानी चाहिए और एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. के प्राधिकारी को हर समय अवगत कराया जाना चाहिए।

36 ठेकेदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान प्राप्त संस्थान की जानकारी को बिना किसी अनुमति के तीसरे पक्ष को किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण से सुरक्षित रखें।

37 असंतोषजनक सेवा का दंड:

- यदि माह में किसी एक विशेष दिन सेवाओं में कमी पाई जाती है, तो असंतोषजनक सेवा के लिए मासिक अनुबंध राशि का 1% (एक प्रतिशत) जुर्माना लगाया जाएगा।
- यदि माह में 2 से 4 दिन सेवा में कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 2% जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 4 दिन से अधिक और 7 दिनों तक के समय की कमी पाई जाती है तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि

- का 3% जुर्माना लगाया जाएगा। यदि 7 दिन से अधिक 10 दिन तक की कमी पाई जाती है, तो प्रत्येक कमी वाले दिन के लिए मासिक अनुबंध राशि का 5% जुर्माना लगाया जाएगा।
- iii. यदि असंतोषजनक कार्य निष्पादन 10 दिनों से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है, तो निदेशक, एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. बिना किसी और सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
- iv. असंतोषजनक सेवाओं/सेवाओं में कमी में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है:
- v. देर से आना; पुरानी/गंदी वर्दी में आना; नशे में/बीमार/अस्तव्यस्त रिपोर्ट करना; एक दिन पहले सूचना दिए बिना छुट्टी; उपस्थिति रजिस्टर/बायोमेट्रिक मशीन में हेराफेरी/छेड़छाड़ करना; अशिष्ट, अभद्र व्यवहार; कर्तव्य पालन में आलसी, असहयोगी; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की संपत्ति को नुकसान; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य; काम के घंटों के दौरान धूम्रपान/पान/बीड़ी; काम के घंटों के दौरान व्यक्तिगत फोन कॉल में करना; साथी कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, अंदरूनी कलह, गुटबाजी; अवज्ञा; वित्तीय अनियमितता; अनधिकृत व्यक्ति को परिसर में लाना/अनुमति देना; बिना बैज/आई कार्ड के आना; एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी. द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने से इंकार करना आदि।

38. भुगतान की शर्तें:

- i. उपस्थिति रजिस्टर की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति के साथ दो प्रतियों में बिल भुगतान के लिए अगले महीने के पहले सप्ताह तक इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए।
- ii. कार्य प्रदान करने के आदेश के आधार पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अग्रिम भुगतान या किसी ऋण की अनुशंसा नहीं की जाएगी। बिलों के भुगतान में बिल जमा करने की तारीख से औसतन लगभग दो सप्ताह का समय लगेगा।
- iii. सभी भुगतान फर्म/कंपनी के नाम पर केवल चेक/पीएफएमएस द्वारा किए जाएंगे।
- iv. सक्षम प्राधिकारी किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने के लिए स्वतंत्र होंगे बशर्ते कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित दंड की वसूली हो।

39. अनुबंध की अवधि:-

- i. अनुबंध शुरू में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा और निदेशक, एनआईआईआर-एनसीडी जोधपुर के निर्णय के अनुसार एजेंसी के संतोषजनक कार्य प्रदर्शन पर एक और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
 - ii. सामान्य स्थिति में दोनों ओर से कारणों के साथ कम से कम एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
 - iii. असंतोषजनक प्रदर्शन के मामले में, किसी भी व्यक्ति का अनुबंध निदेशक के निर्णय पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- 41 एजेंसी एन.आई.आई.आर.-एन.सी.डी., जोधपुर के परिसर के अंदर बागवानी उद्यानों के सौंदर्यीकरण और उनके उचित रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।
 - 42 ठेकेदार/एजेंसी सभी कानूनों, अधिनियमों और बनाए गए नियमों, पर्यावरण तथा कार्य निष्पादन के लिए उसके द्वारा तैनात मानव-शक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए वैधानिक आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और ठेकेदार द्वारा इस तरह के नियमों, वैधानिक दायित्वों आदि के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी परिणाम के संबंध में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा।
 - 43 बगीचे में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. द्वारा मुफ्त पानी की आपूर्ति को छोड़कर, अन्य सभी सामग्री जैसे उर्वरक, पौधे, बीज और सभी उपकरण और सामग्री जो फूल उगाने और रोपण या घास काटने और खरपतवार हटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जानी है और कूड़ा निस्तारण निविदाकार द्वारा वहन किया जाना है।
 - 44 सेवा प्रदाता को अनुबंध में शामिल पूरे क्षेत्र को पूरे वर्ष सर्वोत्तम परिस्थितियों में बनाए रखना होगा, चाहे मौसम की स्थिति कुछ भी हो। क्षेत्र को वांछित स्थिति में बनाए रखने के लिए अनुबंध की ओर से विफलता, उस अवधि के प्रति सप्ताह 1% (एक महीने के लिए निविदा मूल्य का) का, अधिकतम 10% तक जुर्माना का लगाया जाएगा, जिसके दौरान क्षेत्र वांछित स्थिति में नहीं रहा। इसके बाद, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. अनुबंध को समाप्त करने और कार्य निष्पादन जमानत राशि को जब्त करने पर विचार कर सकता है। एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. ऐसी फर्म को ब्लैकलिस्ट करने पर भी विचार कर सकता है।
 - 45 **न्यायालय का क्षेत्राधिकार:** यह अनुबंध भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित है और केवल जोधपुर उच्च न्यायालय, राजस्थान के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

निदेशक एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी.

बोली लगाने वाले की प्रोफाइल

1	निविदा देने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी का नाम (पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
2	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत फर्म का प्रकार अर्थात प्रोपराइटरशिप/साझेदारी या कंपनी (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
3	कंपनी/फर्म/एजेंसी के मालिक/निदेशक का नाम	
4	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता	
5	टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ संचालन / शाखा कार्यालय का पूरा पता	
6	पैन / जी.आई.आर. / टैन नंबर (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
7	जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	

8. केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष या उससे अधिक समय में किए गए संतोषजनक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र / प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। किसी भी कार्य आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा।

इसका सारांश दिए गए प्रारूप में कालानुक्रमिक क्रम में सारणीबद्ध किया जा सकता है: -

क्रम सं.	पता, टेलीफोन और फैक्स नंबर के साथ ग्राहक का विवरण	अनुबंध की राशि (रु. लाख)	अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि	
			से	तक
1				
2				
3				

(यदि उपलब्ध कराया गया स्थान अपर्याप्त है, तो एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

• स्थान:

• अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

• मुहर:

अनुलग्नक-II

**डी.ओ.टी./सरकारी विभाग द्वारा सरकारी निविदा में भाग लेने से ब्लैकलिस्टिंग/गैर-
ब्लैकलिस्टिंग के संबंध में घोषणा।
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

मैं/हम मैसर्स -----
का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मैसर्स -----
-----है, को पूर्व में एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. या
किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सरकारी निविदाओं में भाग लेने से काली सूची में नहीं डाला गया है
या प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

या

मैं/हम मैसर्स -----
का मालिक/साझेदार/निदेशक एतद्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कंपनी, जिसका नाम मैसर्स -----
-----है, को एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., या किसी
अन्य सरकारी विभाग द्वारा दिनांक -----से प्रभावी -----वर्षों के लिए सरकारी
निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह अवधि दिनांक ----- को
समाप्त हो गई है और अब फर्म/कंपनी सरकारी निविदाओं में भाग लेने की हकदार है।

यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं /हम पूरी तरह से जानते हैं कि निदेशक,
एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर द्वारा निविदा/अनुबंध को अस्वीकार/रद्द कर दिया जाएगा और
बयाना राशि/जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

उपरोक्त के अलावा, निदेशक, एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर किसी भी पूर्ण/आंशिक रूप से पूर्ण किए
गए कार्य के बिलों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

हस्ताक्षर -----

दिनांक:

नाम -----

फर्म की मुहर लगानी होगी।

क्षमता जिसमें हस्ताक्षर किए गए हैं:

फर्म का नाम और पता:

अनुलग्नक-III

घोषणा

एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में ठेकेदार के किसी निकट संबंधी (रिश्तेदारों) के कार्यरत ना होने के संबंध में

में पुत्र / श्री

निवासी एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निविदा दस्तावेज में परिभाषित मेरा कोई भी रिश्तेदार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत है, तो एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. को मुझे बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर सहित

निकट संबंधी (ओं) का अर्थ है:

ए) एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य;

बी) जीवनसाथी।

सी) पिता, माता, बहन, भाभी, बेटी, बहू, भाई, साला आदि

स्वामित्व फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र मालिक द्वारा दिया जाएगा और साझेदारी फर्म के मामले में सभी साझेदारों द्वारा और लिमिटेड कंपनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा या सभी निदेशकों की ओर से कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कंपनी या फर्म या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन करने पर, निविदा/कार्य रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी स्तर पर जब भी ऐसा पाया जाएगा तो बयाना राशि/ जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। यह विभाग कंपनी या फर्म या संबंधित व्यक्ति को कोई हर्जाना नहीं देगा। कंपनी या फर्म या व्यक्तियों को संबंधित इकाई में आगे की भागीदारी के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता की मुहर

अनुबंध -IV

घोषणा
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)

वेब साइट से डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेज की छेड़छाड़ ना करने के लिए

मैं(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) एतद्वारा घोषणा करता हूं कि प्रस्तुत किए गए निविदा दस्तावेज वेबसाइट <https://eprocure.gov.in> / <https://niirncd.icmr.org.in/> से डाउनलोड कर लिए गए हैं और डाउनलोड किए गए दस्तावेज में कुछ भी जोड़ा/हटाया/सुधारा नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैंने बयाना राशि के लिए निविदा दस्तावेज की लागत हेतु रुपये का डी.डी. संलग्न किया है।

निविदाकर्ता/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

दिनांक:

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकार की मुहर

अनुबंध -V

**घोषणा
(बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर)**

कार्यालय में भाग लेने के लिए प्राधिकरण पत्र

सेवा में,

निदेशक,
एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., नई पाली रोड,
जोधपुर

विषय: _____ (तारीख) को _____ की निविदा में कार्यालय में उपस्थित होने के लिए प्राधिकार

महोदय,

निम्नलिखित व्यक्ति _____ (बोलीदाता) की ओर से ऊपर उल्लिखित निविदा के लिए कार्यालय में उपस्थित होने के लिए अधिकृत हैं।

प्रतिनिधि का नाम

नमूना हस्ताक्षर

1. _____

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(अधिकतम एक प्रतिनिधि को कार्यालय में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित प्राधिकरण प्राप्त नहीं होता है तो कार्यालय में प्रवेश की अनुमति से मना किया जा सकता है।)

अनुबंध -ए

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
(तकनीकी बोली)

1.	मालिक का नाम	
2.	फर्म/एजेंसी का नाम*	
3.	फर्म/एजेंसी का पता*	
4.	टेलीफोन नंबर	
5.	पंजीकरण संख्या	
6.	व्यापार जिसके लिए पंजीकृत*	
7.	अधिकृत व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर: निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए*	
8.	खाता संख्या, आईएफएससी कोड के साथ बैंकर का नाम और पता	
9.	आयकर पैन/टैन संख्या *	
10.	पंजीकरण क्रमांक* और तारीख, यदि कोई हो, जैसा कि नीचे दिया गया है (ए) अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (बी) ई.पी.एफ. अधिनियम* : (सी) ई.एस.आई. अधिनियम* : (डी) जीएसटी अधिनियम *:	
11.	बयाना राशि (ईएमडी) का विवरण (डीडी नंबर, तिथि और राशि)	
12.	निविदा शुल्क का विवरण (डीडी संख्या, तिथि और राशि)	
13.	पिछले तीन साल की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न और टर्नओवर अर्थात वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र की स्वयं अनुप्रमाणित प्रतिलिपि	
14.	प्रासंगिक क्षेत्र में तीन साल का अनुभव	
15.	काली सूची में नहीं होने का प्रमाणपत्र	
16.	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. के अधिकारियों के साथ कोई संबंध नहीं होने का प्रमाण पत्र।	

* तकनीकी बोली में बयाना राशि और निविदा शुल्क के साथ फर्म के पंजीकरण, आयकर, जी.एस.टी., टिन, ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. आदि के प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न होने चाहिए।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक सहित

अनुबंध -बी

राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
(वित्तीय बोली)

क्रमांक	विवरण	मासिक शुल्क रुपये में	कुल वार्षिक राशि (रुपये में)
1	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर (राजस्थान) में अकुशल कर्मचारियों (06 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क		
2	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी., जोधपुर (राजस्थान) में कुशल कर्मचारियों (04 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क		
3	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में अर्ध कुशल कर्मचारियों (01 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क		
4	एन.आई.आई.आर.एन.सी.डी. में अत्यधिक कुशल कर्मचारियों (01 व्यक्ति) के लिए सेवा शुल्क		
	कुल मासिक सेवा शुल्क शब्दों में:		

(ठेकेदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा बताई गई सेवा शुल्क की दर शून्य या शून्य का यौगिक नहीं होना चाहिए।)

• न्यूनतम मजदूरी, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस आदि नियमानुसार होंगे।

नोट:

1. भारत सरकार के राजपत्र के अनुसार ई.एस.आई. अंशदान दरों को 1 जुलाई, 2019 से पहले के 4.75% से घटाकर 3.25% कर दिया गया है।
2. ई.पी.एफ. अंशदान 15000/- रुपये की अधिकतम मजदूरी सीमा पर लिया गया है।
3. ई.एस.आई. लागू होने की ऊपरी सीमा रु. 21000/- है।
4. बोनस लागू होने की ऊपरी सीमा रु. 7000/- है।
5. मजदूरी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर घोषित किए जाने पर संशोधन के अधीन है।
6. उपर्युक्त न्यूनतम मजदूरी केंद्र/राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार वसूल की जाएगी और जो भी अधिक होगी वह लागू होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर दिनांक सहित